

866

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगढ़ (प्रश्न)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - करजानी)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 557/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	करजानी	पडो	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम खतासं. 450 करजानी प.ह. करजानी में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			हस्ताक्षर पटवारी	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर प्रिम्दावर	
			हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			पटवारी हस्ताक्षर	
			हस्ताक्षर प्रिम्दावर	

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करण उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन) जिला-वित्तौडगढ़ कपासन

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.सं.) कपासन